छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 195/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/04/2020

प्रति,

1. **समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,**
2. **समस्त संभागायुक्त,**
3. **समस्त कलेक्टर,**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष,**

विषयः– **नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण बाबत्।**

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांकः 189/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 16/04/2020, एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 एवं दिनांक 19/04/2020

––00––

संदर्भित आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत् अधिकृत किया गया एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये। इस संबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते है।

2/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 19/04/2020 के माध्यम से पूर्व में अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल पैरा 14 (v) *ई–कामर्स कंपनियां, ई–कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति* को **विलोपित किया गया है।**

3/ अतः अब ई–कामर्स कंपनियों को निर्देशों के पैरा 13 (i) अनुसार केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

4/ **स्पष्टीकरण** – कई स्थानों से दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की दुकानों के खुलने के संबंध में भ्रांति होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 के पैरा 6 D (i) में *दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन* के संचालन संबंधी अनुमति का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार निर्देशों के पैरा 13 (ii) में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दुकानों के संचालन हेतु अनुमति है। अतः इस संबंध में खाद्य पदार्थों, दूध एवं दूध उत्पादों जैसे– खोया, पनीर, दही इत्यादि की बिक्री हेतु दुकानों को संचालन की अनुमति पूर्व से प्राप्त है।

5/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के पैरा 14 (x) में स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, बढ़ई को कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। इन व्यक्तियों द्वारा उनसे संबंधित उपकरणों जैसे– मोटर, पंखा, कुलर इत्यादि के बिजली के सामान एवं अन्य सुसंगत सामग्रियों के मरम्मत कार्य इत्यादि हेतु सेवाएं दी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

6/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संशोधित निर्देश अनुसार प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शेष निर्देश यथावत लागू रहेगें।

7/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉटस एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांकः 196 /स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi

D.O. 40-3/2020-DM-I(A) Dated: 19th April, 2020

Dear Chief Secretary,

Please refer to MHA Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 15th April 2020 & 16th April 2020, vide which consolidated revised guidelines on the measures to be taken by the Ministries/ Departments of the Government of India, State/UT Governments and State/UT Authorities for containment of COVID-19, has been circulated for the strict implementation in all parts of the Country.

2. Vide Order of even number dated 19th April, 2020, ***clause 14(v) of the consolidated revised guidelines, relating to E-commerce companies has been excluded.*** In this regard I would like to clarify that while operations of e-commerce companies for non-essential goods stands prohibited, ***however they will continue to operate for essential goods as has been allowed earlier and continue to be allowed under clause 13(i) of these guidelines.***

3. You are therefore requested to clarify this to all the field agencies and also adequately disseminate amongst the general public so as to ensure smooth movement of the entire supply chain of essential goods, including by e-commerce. The guidelines/ Orders issued by the State Governments/ UT Administration in pursuance to MHA Orders may please be suitably modified to reflect the correct position.

With regards,

Yours sincerely

19/4/2020

(Ajay Bhalla)

To

The Chief Secretaries of States.
(As per list attached)

Scanned with CamScanner

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 19th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 15th April, 2020 and 16th April, 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders to ***exclude*** the following from the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities:

Sub-clause (v) under Clause 14 on Commercial and private establishments

v. E-commerce companies. Vehicles used by e-commerce operators will be allowed to ply with necessary permissions.

Home Secretary 19/04/2020

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**
   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.
ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner